

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर आवेदक श्री संजय कटारे, सागर को वन मंडल उत्तर सागर के पश्चिम मालथौन के वन कक्ष क्रमांक आर.एफ. 112 में फर्शी-पत्थर उत्खनन हेतु खदान के नवीनीकरण करने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 19.08.2020

स्थान: भोपाल


 (एच.एस. मोहन) 06.08.2020
 सचिव
 म.प्र. शासन वन विभाग

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)